



Neutral Citation No. - 2026:AHC:177696

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 117

सन् 2026

शाहजाद वेग

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

:

राम अवतार

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. इस न्यायालय ने दिनांक 13.01.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राम अवतार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नज़ाकत अली और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री मनोज गौतम को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।"

2. यह प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 385 सन् 2024 के अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता, थाना वृंदावन, ज़िला मथुरा में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इस प्रकरण में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है और दो अन्य सह-अभियुक्त, गिरीश कुमार अग्रवाल और नीलिमा अग्रवाल को, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -1464 सन् 2025 में पारित दिनांक 01.05.2025 के आदेश द्वारा पहले ही अग्रिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है। यह भी बताया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, का कहना है कि उन्हें इस प्रकरण में अभी तक कोई निर्देश नहीं मिला है।

5. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, आवेदक शाहजाद वेग को गिरफ्तारी की स्थिति में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो जमानतें जमा करने पर दिनांक 12.2.2026 तक अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:

(i) आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और तय तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय उसे छूट न दे।

(ii) आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

6. किसी भी शर्त का पालन न होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत को निरस्त कराने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. इस प्रकरण को दिनांक 12.2.2026 को नए प्रकरण के तौर पर सूचीबद्ध करें।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. इस बीच, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे अगली तय तारीख तक इस प्रकरण में निर्देश प्राप्त कर लें।"

2. आज, जब प्रकरण की सुनवाई शुरू हुई, तो विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, ने बताया कि इस प्रकरण में निर्देश प्राप्त हो गए हैं।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने पहले के आदेश में दर्ज अपनी दलीलों को दोहराया। उन्होंने आगे कहा कि सह-अभियुक्त यूनस कुरैशी, वीरेंद्र कुमार शर्मा, जैतून शाह और गिरीश कुमार अग्रवाल को इस न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। आवेदक सह-अभियुक्तों के समान व्यवहार का दावा करता है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना पत्र का विरोध किया, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सके कि आवेदक का प्रकरण सह-अभियुक्त के प्रकरण जैसा ही है।

6. मैंने दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।

7. आवेदक का प्रकरण सह-अभियुक्त गिरीश कुमार अग्रवाल के प्रकरण जैसा ही है। आवेदक का दावा है कि वह बिक्री के करार का एक मामूली गवाह है। उस बिक्री करार के आधार पर कोई बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया गया था।

8. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और इस बात को भी देखते हुए कि आवेदक अंतरिम अग्रिम जमानत पर है और उसने इसकी शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है, यह न्यायालय आवेदक को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि करना उचित समझता है।

9. आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

10. आवेदक को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को इसके द्वारा पुष्ट किया जाता है। ऊपर बताए गए प्रकरण में आवेदक - **शाहजाद वेग** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे दिनांक 13.01.2026 के पूर्व आदेश में निर्धारित उन्हीं नियमों एवं शर्तों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

21 अगस्त, 2026

कुशल